



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102023-249711
CG-DL-E-26102023-249711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4486]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 26, 2023/कार्तिक 4, 1945

No. 4486]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2023/KARTIKA 4, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4672(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 9) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 अक्तूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 45, जहां तक उसका संबंध धारा 64ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 05/4/2023-सीओएमपी-एमसीए]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2023

S.O. 4672(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Competition (Amendment) Act, 2023 (9 of 2023), the Central Government hereby appoints the 26th October, 2023 as the date on which section 45, in so far as it relates to Section 64B and the entries relating thereto, of the said Act shall come into force.

[F. No. 05/4/2023-Comp-MCA]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

6792 GI/2023